न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मु० मा० न० राजस्व वाद 209/2017

वादीगण :-

1. लतीबो बेवा नसीर खा जाति मुसलमान निवासी मेघावास तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. हमीदा खा कासम खा जाति मुसलमान
2. सकुरखा पुत्र कासम खा
3. होती खा पुत्र कासम खां
4. लुकमानखा पुत्र कासम खा
5. मृतक मुबिनखां के कायम मुकामात

5/1 अब्बासखा पुत्र मोबिन खा
5/2 भूरेखा पुत्र मोबिन खां
तमाची खां के कायम मुकामात
6/1 धीया बेवा तमाचीखा
6/2 दीने खा पुत्र तमाची खा
6/3 भवरे खां पुत्र तमाचीखा
6/4 सलीम खा पुत्र तमाचीखां
6/5 ईकबाल खा पुत्र तमाची खा
6/6 मुने खां पुत्र तमाची खा सभी जातियान मुसलमान निवासीयान मेघावास तहसील पचपदरा

7. मरूधर ग्रामिण बैंक शाखा बागावास
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पचपदरा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1 श्री उमरदीन मेहर वादीगण वकील

निर्णय

दिनांक :- 28-12-2017

वादीनी यह वाद पत्र राजस्व ग्राम मेघावास पटवार क्षेत्र बाणियावास की राजस्व सीमा मे कृषि भूमि खसरा स 110 रकबा 43.03 बीघा, किस्म बारानी दोयम अवस्थित रही है। उक्त कृषि भूमि खसरा स. 110 का रकबा तत्समय 44.03 बीघा रहा है, किन्तु एक बीघा भूमि वादिनी के द्वारा अपने हिस्से मे से ग्राम पंचायत के हक मे समर्पित की। इस वजह से वर्तमान रकबा 43.03 बीघा है। खसरा स. 110 के सम्बन्स में तत्समय मे खसरा स. 113, 130, की खतौनी भी शामिल रही है। किन्तु तदोपरानत दो खसरा स. 113, 130, का खाता वर्तमान खतौनी से जुदा हो चुके है, जुदा हो चुके खसरो मे किसी प्रकार का विवाद नही होने से उक्त खसरों के बारे मे वर्तमान वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, वर्तमान वाद मे मात्र खसरा स. 110 के सम्बन्ध में ही गलत इन्द्राज होने की वजह से दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है कि खसरा स. 110 रकबा 44.03 बीघा भूमि के तत्समय मे 1/2 हिस्से के खातेदार कासमखा वल्द हालिम खां तथा 1/2 नसीरखा पुत्र चीनेखा का रहा। प्रतिवादी स. 1 ता 6/6 क हकपूर्वाधिकारी कासम खा रहे है, तथा वादीनी नसीर खा की पत्नि है, वक्त फौतगी एव संवत् 2060-63 तक की जमाबंदी अनुसार रेकर्ड में सही इन्द्राज रहा, किन्तु उसके बाद बनी जमाबंदी संवत् 2064-67 मे बिना किसी आधार एव पर्याप्त हेतुक के राजस्व रेकर्ड मे वादनी का जो 1/2 हिस्सा था को कम करते हुए प्रतिवादी स. 1 ता 6/6 के साथ उनके नाम 1/7 हिस्सा दर्ज कर दिया, जबकि सभी प्रतिवादीगण एवं उनके हकपुर्वाधिकारी का 1/2

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

...हो रहा है।वादीनी या वादीनी के हकपुर्वाधिकारी ने कभी भी खसरा सं. 110 में अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से हक, हित या हिस्सा न तो बेचान किया और न ही ऐसी कोई नोबत ही आई ...यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि खातेदार टीनेन्ट का हिस्सा बिना विधिक प्रक्रिया यानि बेचान, वसीयत, रहन, ट्रांसफर के माध्यम से ही या सक्षम कोर्ट के निर्णय डिक्री के आधार पर ही खातेदार के हिस्से को परिवर्तित किया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नही, जबकि वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ नहींहै। राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत प्रविष्टि में सुधार हेतु वादीनी की और से प्रतिवादी सं. 1 ता 6/6 को सहमति से दुरुस्त करने का निवेदन किया किन्तु एकबार तो सभी प्रतिवादीगण सहमत हो गये, तत्पश्चात् उनकी नियम में लालच आने से ऐसा करने से मना कर दिया और रेकर्ड में दर्ज गलत इन्द्राज की वजह से आगे बेचान करने हेतु उतारू हुए, जबकि वादीनी का बिना किसी रोक–टोक के निरन्तर कब्जा 1/2 हिस्से की भूमि की पूर्व की भांति निरन्तर कायम है, रेकर्ड मे गलत इन्द्राज होने से वादीनी के हक संशय में पड गये ऐसी स्थिति मे रेकर्ड में हुई उक्त त्रुटि में दुरुस्ती कर वादीनी के नाम वर्तमान खतौनी में दर्ज रकबे में 421/863 हिस्सा जरीये दुरुस्ती दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु वादीनी ने वाद पेश कर निवेदन किया है।

... दावा दिनांक 29.11.2017 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस कर प्रतिवादीगण के विरुद्व सम्मन जारी किये किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को जारी सम्मन बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से उक्त विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गयी है। वादीनी ने दिनांक दिनांक 19.12.2017 को पी.डब्लु–1 शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी हेतु मुख्य परीक्षण पेश किया व वादीनी लतीबो के साक्ष्य बयान कलमबद्ध कर शामिल किया गया । दावे के साथ प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी खतौनी प्रदर्श इएक्स–3 से इएक्स 14 है। हल्का पटवारी के द्वारा की गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि इएक्स–15 है।

...मने पत्रावली का अध्ययन किया तथा वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी।

वादीनी ... अधिवक्ता की बहस को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर वादीनी का वाद स्वीकार किया जाता है।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार कर सरहद मौजा मेघावास के खसरा सं. 110 रकबा 43.03 ...में वादीनी को 421/863 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है इसी प्रकार रेकर्ड में दुरुस्त किया जावे और शेष 1/2 हिस्से की प्रविष्टिया प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6/6 के नाम रखी जावे। प्रतिवादीगण वादीनी के हिस्से की कृषि भूमि में कोई दखल हस्तक्षेप बाधा अवरोध कारित नहीं करे। वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करें।

... जारी हो।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28-12-17 को सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

घमित स्टेशनर्स, घास मण्डी रोड, जोधपुर फोन 30367

डिगरी व मुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बालोतरा

बइजलास श्री [illegible] सिंह राव आर.ए.एस.

[illegible] बनाम ① हमीदखां पिता कासमखां मुसलमान

[illegible] ② सकूरखां पिता कासमखां मुसलमान

③ [illegible]खां पिता कासमखां मुसलमान

④ [illegible]खां पिता कासम खां मुसलमान

दावा बाबत [illegible] के स्थाई निषेधाज्ञा आदेश।

मुकद्दमा न. 209 सन् 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे

व हाजरी [illegible] वकील मिनजानिब मुद्दई व ✗

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

[illegible] 110 [illegible] 43.03 [illegible] रेकर्ड [illegible]

तोज [illegible] मुबलिग [illegible] बाबत [illegible]

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ——— फीसदी सालाना ब्याज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक ——— को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 12 2017

को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

दस्तखत

सहायक कलेक्टर

ओहदा (S.D.O.) बालोतरा

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायला	रुपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	—	स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	8				
मीजान	13	00	मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर

(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner